

प्रषक,

एल0 वेंकटेश्वरलू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2013

राजस्व अनुभाग-10

विषय: वित्तीय वर्ष 2012 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1246/आपदा-तेरह-2013 दिनांक 23 मई, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में वर्ष 2012 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों/परियोजनाओं के लिए शासनादेश संख्या-2329/1-10-2012-12(33)/2012, दिनांक 27.09.2012 द्वारा रू0 8,73,42,500/-, शासनादेश संख्या-2353/1-10-12-12(33)/2012, दिनांक 18.10.2013 द्वारा रू0 3,06,48,500/-, शासनादेश संख्या-2764/1-10-12-12(33)/2012 दिनांक 03.12.2012 द्वारा रू0 1,47,06,500/- एवं शासनादेश संख्या-2663/1-10-2012-33(172)/2012, दिनांक 18.10.2012 द्वारा रू0 1,08,60,000/- अर्थात् मांगी गयी/आंकलित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में कुल धनराशि रू0 14,35,57,500/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में लो0नि0वि के 46 कार्यों को पूर्ण कराने के लिए द्वितीय किश्त के रूप में अपेक्षित धनराशि रू0 9,25,24,000/-, शासनादेश संख्या-1014/1-10-2013-12(33)/12 दिनांक 20 मार्च, 2012 द्वारा स्वीकृत की गयी थी। अब आपके उक्त पत्र दिनांक 23 मई, 2013 के द्वारा सिंचाई विभाग के 30 कार्यों (स0न0ख0-प्रथम बहराइच के 13 कार्य, स0न0ख0-6 बहराइच के 13 कार्य, स0डे0ख0-प्रथम बहराइच के 03 कार्य एवं स0डे0ख0-प्रथम बहराइच के 01 कार्य) के पुर्नस्थापना कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 3,90,87,000/- की मांग की गई है, इसी प्रकार सिंचाई विभाग (सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम बहराइच) के 08 कार्यों के पुर्नस्थापना कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1,47,06,500/- की मांग की गई है। अतः सिंचाई विभाग के उक्त 38 कार्यों को पूर्ण कराने के लिए द्वितीय किश्त के रूप में अपेक्षित धनराशि अर्थात् निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवशेष कुल धनराशि रू0 5,37,93,500/- (रू0 पांच करोड़ सैंतीस लाख तिरानवें हजार पांच सौ मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप हान वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के

कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते है। शासनदेश सं० 2660/1-10-2012-रा-10-33(171)/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं०-2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयेगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

सचिव एवं राहत आयुक्त ।

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11- गार्ड फाइल।

उपसचिव ।